

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0-3007/मी0क्ष0/33/ दिनांक, मीरजापुर: दिसम्बर ४४, 2019
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय— जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मउकला से लौवा सम्पर्क मार्ग कि0मी0 00 से 20.270 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 8.010 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ— प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र का पत्र संख्या 1576/सोनभद्र/ 33 दिनांक 25.12.2019

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत रामपुर बरकोनिया वाया मउकला से लौवा सम्पर्क मार्ग कि0मी0 00 से 20.270 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 8.010 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन संख्या (एफपी/यूपी/रोड/34160/2018) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑन लाइन सबमिशन करते हुए मय संस्तुति सहित चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत प्रेषित प्रस्ताव इस स्तर से ऑन लाइन सबमिशन कर तीन प्रतियों में एतदसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 3007 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र को उनके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी दशा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने पाये।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव सं० FP/UP/ROAD/35326/2018

विषय:-जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत "रामपुर बरकोनिया बाया मऊकला से लौवा सम्पर्क मार्ग" कि.मी. 00.000 से 20.200 तक के निर्माण हेतु कुल 8.010 हेक्टे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित जन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

[illegible]

18m/26e - (110-2)

ନିର୍ମିତ - ୨୦-୧୨-୨୦୧୬

मुमुक्षु भगवत्प्रेरणा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र